राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 267/2023

रामूसिंह (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेपी201718043122)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2023
आदेश की दिनांक : 20.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देशराज कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी द्वारा इस अपील में स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) को दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पटवार मण्डल, सिरसी, जयपुर से तहसील निवाई, जिला टोंक में की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण 1 वर्ष की अल्प अवधि में कर दिया गया है। अपीलार्थी पटवारी के पद पर कार्यरत है। ऐसे में 1 वर्ष की अवधि में स्थानांतरण किया जाना राज्य सरकार की नीति के विरूद्ध है।
3. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता के उक्त तर्क पर विचार किया। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पटवारी का स्थानांतरण 1 वर्ष में नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक दृष्टि से एक वर्ष की अवधि में पटवारी का स्थानांतरण किया जा सकता है। ऐसे में अपीलार्थी के अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।
4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजनैतिक कारणों से किया गया है। उन्होंने हमारा ध्यान अनुलग्नक–3 की ओर आकृष्ट करते हुए यह कथन किया है कि अनुलग्नक–3 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सीताराम अग्रवाल ने पत्र लिखकर अपीलार्थी का स्थानांतरण कराया गया है। हमारे मत में (अनुलग्नक–3) पत्र, जो सीताराम अग्रवाल के द्वारा राजस्व मंत्री को लिखा जाना बताया गया है, वह पत्र वास्तव में राजस्व मंत्री को प्राप्त हुआ है

या नहीं, यह भी प्रकट नहीं हुआ है। राजस्व मंत्री के निर्देशानुसार वर्तमान स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का यह तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है कि राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।

5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य(न्यायिक)